रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277990
CG-DL-E-17112026-277990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5940] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2026/कार्तिक 21, 1948
No. 5940] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2026/KARTIKA 21, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2026

का.आ. 6179(अ).— जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन गठित केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है;

और जबकि, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3289 (ई), यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1509 (ई), दिनांक 29 मार्च, 2023, के माध्यम से भारत में भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना भूजल निकासी, एनओसी के नवीनीकरण में देरी, और अनुमत्य मात्रा से अधिक भूजल निकासी के मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) का प्रावधान है।

और जबकि, यह देखा गया है कि भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के परिणामस्वरूप कई मामलों में लंबे समय तक अभ्यावेदन और कानूनी कार्रवाई हुई है, जिससे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली में देरी हो रही है और कुछ परियोजना प्रस्तावक भूजल विनियामक ढांचे में शामिल होने से हतोत्साहित हो रहे हैं;

और जबकि, सरकार व्यापक जनहित में यह आवश्यक समझती है कि भूजल निकासी के नियमितीकरण को सुगम बनाने, लागू नियामक ढांचे के अनुपालन को प्रोत्साहित करने, अनावश्यक कानूनी कार्रवाई को कम करने और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को कमजोर किए बिना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए वन-टाइम, स्वैच्छिक और समयबद्ध विवाद समाधान एवं निपटान तंत्र प्रदान किया जाए;

अतः, अब, केंद्र सरकार एतद्वारा **भूजल प्रभार (विवाद समाधान) स्कीम, 2026** अधिसूचित करती है, जिसे इसके बाद इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए गए अनुसार **"स्कीम"** कहा जाएगा।

यह योजना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी और उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

अनुसूची

भूजल प्रभार (विवाद समाधान) योजना, 2026

उद्देश्यों और कारणों का विवरण:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए), *जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.09.2020 को अधिसूचित दिशानिर्देशों, यथासंशोधित, दिनांक 29.03.2023* के अनुसार भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। ये दिशानिर्देश अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना भूजल निकासी, एनओसी के नवीनीकरण में देरी और अनुमत्य मात्रा से अधिक भूजल निकासी सहित निर्दिष्ट मामलों के लिए परियोजना प्रस्तावकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने का प्रावधान करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, यह देखा गया है कि भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ने कई परियोजना प्रस्तावकों को स्वेच्छा से नियामक ढांचे में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में मामले लंबे समय से अभ्यावेदनों और कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं, जिससे क्षतिपूर्ति की वसूली में देरी हो रही है और भूजल उपयोगकर्ताओं को प्रभावी नियामक निगरानी के तहत लाने के उद्देश्य में बाधा आ रही है।

तदनुसार, **व्यापक जनहित में एकबारगी, स्वैच्छिक विवाद समाधान और निपटान तंत्र के रूप में 'भूजल प्रभार (विवाद समाधान) योजना, 2026'** तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना, पात्र परियोजना प्रस्तावकों को अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर भूजल निकासी को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अपरिहार्य कानूनी कार्रवाई को कम करना और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करना है जो अन्यथा लंबी कानूनी कार्यवाही में फंसी रह सकती है। इस प्रकार यह योजना वसूली को अधिकतम करने और नियामक अनुपालन को मजबूत करने का एक उपाय है, न कि **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत** का परित्याग।

इस योजना की संकल्पना एक सीमित, समयबद्ध निपटान के रूप में की गई है। यह न तो पिछले उल्लंघनों को माफ करती है और न ही भविष्य में इसी तरह की राहत का कोई निहित अधिकार बनाती है। योजना की समाप्ति पर, सभी मामले लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से शासित होंगे, और किसी भी बाद के उल्लंघन पर निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अन्य प्रवर्तन उपाय लागू होंगे। यह योजना भूजल निकासी को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे के निरंतर अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और भविष्य के दावों के लिए एक मिसाल (नजीर) के रूप में कार्य नहीं करेगी।

1. पृष्ठभूमि:

1.1 केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है, और पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) की दिनांक 14 जनवरी, 1997 की अधिसूचना एस.ओ. 38(ई), यथासंशोधित दिनांक 13.01.1998 की अधिसूचना एस.ओ. 40(ई); दिनांक 06.11.2000 के एस.ओ. 1124(ई); दिनांक 05.01.1999 के एस.ओ. 9(ई); और दिनांक 13.05.2010 के एस.ओ. 1121(ई) के माध्यम से आवश्यक नियामक निर्देश जारी किए गए हैं।

1.2 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.09.2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3289(ई) के माध्यम से 'भारत में भूजल निकासी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश' और दिनांक 29.03.2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1509(अ) के माध्यम से उसमें संशोधन जारी किए।

1.3 दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि भूजल का निष्कर्षण करने वाले सभी नए/मौजूदा उद्योगों, विस्तार हेतु आवेदन करने वाले उद्योगों, अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं को, जब तक कि दिशानिर्देशों के पैरा 1.0 के तहत विशेष रूप से छूट न दी गई हो, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भूजल प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1.4 दिनांक 24.09.2020 को दिशानिर्देश जारी होने के पश्चात, सीजीडब्ल्यूए द्वारा मौजूदा परियोजनाओं के लिए बिना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाए एनओसी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया गया। ऐसा अंतिम विस्तार दिनांक 30.09.2022 तक दिया गया था।

1.5 केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तीन मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रभार लगाया जा रहा है:

i. मौजूदा परियोजनाएं जिनके द्वारा भूजल का निष्कर्षण किया जा रहा है, लेकिन एनओसी के लिए आवेदन करने में विफल रही हैं।

ii. वे परियोजनाएं जिन्होंने समय पर एनओसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

iii. वे परियोजनाएं जिन्होंने एनओसी में उल्लिखित अनुमत्य मात्रा से अधिक भूजल का निष्कर्षण किया है।

1.6 यह देखा गया है कि पिछले तीन वर्षों में ईसी लगाया जाना कई परियोजना प्रस्तावकों (पीपी) के लिए एनओसी हेतु आवेदन करने से हतोत्साहित करने वाला कारक बन रहा है। इसलिए, यह महसूस किया गया है कि ईसी में छूट देने से अधिकतम परियोजनाओं को भूजल विनियमन के दायरे में लाने में मदद मिल सकती है। ऐसे भी कई मामले हैं जहां परियोजना प्रस्तावकों ने एनओसी के लिए आवेदन किया है और उन पर ईसी लगाया गया है। हालांकि, ईसी प्रभारों का भुगतान करने के बजाय ऐसे पीपी इस संबंध में छूट के लिए अभ्यावेदन दे रहे हैं और यहां तक कि न्यायालयों में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

1.7 इस प्रकार, भारत सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पहल को बढ़ावा देने के साथ-साथ अधिक से अधिक परियोजनाओं को सीजीडब्ल्यूए से एनओसी प्राप्त करने के लिए आगे आने और इस प्रकार भूजल विनियमन व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, भूजल निकालने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में छूट प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि ऐसी छूट केवल एक सीमित अवधि के लिए दी जाए ताकि भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा न आए। यहां इस विषय पर भी बल दिया जाता है कि सरकार का प्रयास हमेशा औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और पुनर्चक्रित जल के उपयोग को बढ़ावा देना रहा है और भूजल मुख्य रूप से केवल एक स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में कार्य करता है।

1.8 इस दृष्टिकोण के साथ, भूजल के सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता के जनादेश के साथ सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पहल को संतुलित करते हुए, व्यापक जनहित में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल प्रभार (विवाद समाधान) योजना 2026 को लागू किया जा रहा है। इस योजना की संकल्पना व्यापक नियामक अनुपालन प्राप्त करने हेतु बड़ी संख्या में परियोजना प्रस्तावकों (पीपी) को नियामक ढांचे में लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक स्वैच्छिक, एकबारगी **कार्यनीति समाधान और निपटान तंत्र** के रूप में की गई है। यह योजना 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (अनुलग्नक) में स्थित उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहां भूजल विनियमन सीजीडब्ल्यूए द्वारा किया जा रहा है।

2.0 परिभाषाएं:

i. सीसीए : संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समेकित सहमति और प्राधिकार

ii. सीटीई : स्थापना हेतु सहमति

iii. सीटीओ : संचालन हेतु सहमति

iv. एसआईसी : योजना कार्यान्वयन समिति

v. डेफ़िसिएनसी मेमो : प्रस्तुत आवेदन में कमियों के संबंध में पीपी को भेजा गया पत्र/संदेश।

vi. योजना प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि: वह तिथि जिसको यह योजना सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाती है।

vii. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति : दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के पैरा 15.0 के तहत परिभाषित।

viii. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना: दिनांक 03.11.2022 की सीजीडब्ल्यूए सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2022 के साथ पठित तालिका 15.1 से 15.2 में निर्धारित दरों और निवारक कारक के अनुसार।

ix. केएलडी : किलो लीटर प्रति दिन अर्थात घन मीटर/दिन

x. एनओसी : अनापत्ति प्रमाण पत्र

xi. पीपी : परियोजना प्रस्तावक अर्थात आवेदक।

xii. लवणीय भूजल : लवणीय भूजल निकासी के लिए सीजीडब्ल्यूए दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित। इन दिशानिर्देशों को *Saline guidelines_approved.pdf* लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।

xiii.छूट: दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों और दिनांक 29.03.2023 को यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारों में छूट/रियायत की राशि।

xiv. सीजीडब्ल्यूबी की जीडब्ल्यूआरए रिपोर्ट: केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रकाशित गतिशील भूजल संसाधन आकलन पर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की वेबसाइट https://cgwb.gov.in/ पर उपलब्ध है।

3.0 कार्यक्षेत्र / प्रयोज्यता:

3.1 यह योजना 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (अनुलग्नक) में स्थित उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहां भूजल विनियमन सीजीडब्ल्यूए द्वारा किया जा रहा है।

3.2 यह योजना इसके राजपत्र अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसके बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी। योजना की शर्तों को पूरा करने के अधीन, अंतिम तिथि तक योजना के तहत प्राप्त आवेदन स्कीम का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

4.0 अपवर्जन खंड : इस योजना का लाभ उन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मामलों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा जिन पर किसी न्यायालय, अधिकरण द्वारा पहले ही अंतिम रूप से निर्णय सुनाया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा लगाए गए वे मुआवजे भी शामिल हैं जिन्हें वर्तमान में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

5.0 लंबित मुकदमों का निपटान:

5.1 किसी परियोजना प्रस्तावक, जिसका इस स्कीम के तहत निपटाए जाने वाली प्रस्तावित अवधि के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की मात्रा से संबंधित कोई मुकदमा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, वह स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन के साथ गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक अपरिवर्तनीय वचनबंध (undertaking) प्रस्तुत करके आवेदन कर सकता है कि निपटान की स्वीकृति और इस स्कीम की शर्तों को पूरा करने पर, परियोजना प्रस्तावक कानून के अनुसार ऐसी कार्यवाही को वापस ले लेगा या उसका निस्तारण करवाएगा।

5.2 आवेदन और वचनबंध प्राप्त होने पर, स्कीम कार्यान्वयन समिति परियोजना प्रस्तावक की पात्रता की जांच करेगी और स्कीम के तहत देय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करेगी। निर्धारित राशि के बारे में परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाएगा।

5.3 परियोजना प्रस्तावक निर्धारित अवधि के भीतर, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से स्कीम के तहत निर्धारित राशि जमा करेगा।

5.4 भुगतान प्राप्त होने के बाद, योजना कार्यान्वयन समिति एक अनंतिम निपटान आदेश (provisional settlement order) जारी करेगी। ऐसा आदेश देयता से अंतिम मुक्ति नहीं माना जाएगा और यह समिति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही को वापस लेने या निस्तारण के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के स्पष्ट रूप से अधीन रहेगा।

5.5 निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही को वापस लेने या निस्तारण का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर, स्कीम कार्यान्वयन समिति एक अंतिम निपटान आदेश जारी करेगी, जिसके बाद स्कीम के तहत कवर की गई अवधि और श्रेणी के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देयता पूरी तरह से और अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगी।

5.6 जहां परियोजना प्रस्तावक निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही को वापस लेने या निस्तारण का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या उसके बाद इस स्कीम के तहत निपटाए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से संबंधित उसी दावे को जारी रखने, पुनर्जीवित करने या फिर से उठाने का प्रयास करता है, तो अनंतिम निपटान बिना किसी अगले आदेश के स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, मूल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देयता पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगी, और स्कीम के तहत भुगतान की गई सभी राशियों को ऐसी देयता के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा, जो लागू दिशानिर्देशों और कानून के तहत शेष राशि की वसूली करने और कार्रवाई करने के केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

6.0 वचबद्धता : इस स्कीम के तहत अपेक्षित वचनबंध और मुकदमा वापसी केवल स्कीम के तहत निपटाए गए उल्लंघन की विशेष अवधि और श्रेणी के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देयता तक ही सीमित रहेगी और यह कानून के अनुसार किसी भी असंबंधित या भविष्य की शिकायत को आगे बढ़ाने के परियोजना प्रस्तावक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। इस स्कीम में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निपटान द्वारा शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में उपलब्ध संवैधानिक या वैधानिक उपचारों को प्रतिबंधित करती है।

7.0 स्कीम की विशेषताएं

निम्नलिखित को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारों में छूट प्रदान करना:

a) बिना एनओसी के संचालित मौजूदा परियोजनाएं;

b) एनओसी के नवीनीकरण के लिए देरी से आवेदन करने वाली परियोजनाएं; और

c) वे परियोजनाएं जिन्होंने एनओसी में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक भूजल निकाला है।

i. यह छूट आकलन इकाइयों की सभी श्रेणियों (अति-दोहित, गंभीर, अर्ध-गंभीर, सुरक्षित और लवणीय) के साथ-साथ सभी प्रकार की परियोजनाओं (अवसंरचना, औद्योगिक, खनन और अन्य) में दी जा रही है। भूजल निकालने वाली सभी मौजूदा परियोजनाएं दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सभी बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी।

ii. यह स्कीम परियोजना प्रस्तावकों को भूजल निकासी को नियमित करने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में छूट का लाभ उठाने के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में शुरू की जा रही है। स्कीम की समाप्ति या बंद होने पर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 24.09.2020 या परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से बिना किसी छूट या रियायत के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी।

iii. इस स्कीम के अंतर्गत नवीनीकरण के साथ- साथ नए आवेदनों को शामिल किया जाएगा।

iv. यह स्कीम भूजल निकालने वाली उन परियोजनाओं को भी शामिल करेगी जिनके आवेदन पहले किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिए गए थे।

v. स्कीम की घोषणा के समय सीजीडब्ल्यूए के पास लंबित परियोजनाओं के आवेदन और जहां ईसी लागू है, वे भी इस स्कीम के तहत छूट के पात्र होंगे।

vi. स्कीम की घोषणा की तिथि से पहले परियोजना के अस्तित्व का निर्णय करने के लिए सीटीई/सीटीओ/सीसीए आदि जैसे वैध दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा।

vii. यह स्कीम एक एकबारगी समाधान उपाय है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह स्कीम भविष्य की प्रवर्तन कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना है। इस स्कीम को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा और भविष्य में इसी तरह की छूट की कोई उम्मीद पैदा नहीं होगी। स्कीम का लाभ उठाने के बाद में परियोजनाओं द्वारा कोई भी गैर-अनुपालन देखे जाने पर मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सख्त से सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पूर्ण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाना, लागू दंड और यहां तक कि बोरवेल को सील करना भी शामिल है।

viii. स्कीम की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन वास्तविक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति या दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम ईसी, जो भी अधिक हो, पर छूट के लिए पात्र होंगे। स्कीम के तहत ईसी से प्रदान की जाने वाली छूट का विवरण नीचे दिया गया है।

ix. छूट मैट्रिक्स : ईसी प्रभारों में छूट देने में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक छूट मैट्रिक्स तैयार किया गया है। यह आकलन इकाइयों की श्रेणी और इस स्कीम के तहत लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गणना किए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारों में छूट/रियायत की राशि के प्रतिशत के संयोजन पर आधारित है। यहां, आकलन इकाई की श्रेणी का अर्थ सीजीडब्ल्यूबी की जीडब्ल्यूआरई (GWRE) रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित / अर्ध-गंभीर / गंभीर / अति-दोहित / लवणीय आकलन इकाइयों में स्थित परियोजना/उद्योग है। छूट प्रतिशत संबंधित जल खपत (केएलडी में) और आकलन इकाई में पात्र/लागू राशि का प्रतिशत है।

आरोपित ईसी वाले ऐसे सभी आवेदनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. समूह 1: बिना एनओसी के संचालित मौजूदा परियोजनाओं के लिए। लागू छूट 60% से 30%।
2. समूह 2: एनओसी के नवीनीकरण के लिए देरी से आवेदन। लागू छूट 70% से 40%।
3. समूह 3 : एनओसी में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक भूजल निकासी। लागू छूट 75% से 45%।

समूह 1: अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना संचालित मौजूदा परियोजनाओं पर लागू ईसी का छूट मैट्रिक्स (दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की गई ईसी की राशि से 60-30% की छूट))

क्षेत्र श्रेणी	पंक्ति/स्तंभ	जल खपत (घन मीटर प्रति दिन में)			
		<200	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		A (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	B (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	C (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	D (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)
सुरक्षित और लवणीय	1	60%	60%	60%	60%
अर्ध-गंभीर	2	60%	50%	50%	50%
गंभीर	3	60%	50%	40%	40%
अति-दोहित	4	60%	50%	40%	30%

समूह 1 के मामलों के लिए सैंपल प्रदर्शन

अर्ध-गंभीर आकलन इकाई में 500 केएलडी भूजल (200-1000 केएलडी ब्रैकेट के भीतर आने वाले) को वापस लेने वाली परियोजना पर 20 लाख रुपये के ईसी शुल्क का भुगतान किया जाता है/उत्तरदायी होता है।

स्कीम के अंतर्गत लागू छूट = 50%

स्कीम के अंतर्गत छूट के बाद देय ईसी 10 लाख रुपये होगा।

छूट %	लगाया गया ईसी (रु. लाख में)	छूट राशि (रु. लाख में	छूट के बाद देय ईसी (रु. लाख में)
50% (सेल बी 2)	20	10	10

समूह 2: एनओसी के नवीनीकरण के लिए देरी से आवेदन करने के लिए ईसी का छूट मैट्रिक्स

(दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की गई ईसी की राशि से 70% -40% की छूट)

क्षेत्र श्रेणी	पंक्ति/स्तंभ	जल खपत (घन मीटर प्रति दिन में)			
		<200	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		A (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	B (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	C (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	D (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)
सुरक्षित और लवणीय	1	70%	70%	70%	70%
अर्ध-गंभीर	2	70%	60%	60%	60%
गंभीर	3	70%	60%	50%	50%
अति-दोहित	4	70%	60%	50%	40%

समूह 2 के मामलों के लिए सैंपल प्रदर्शन

सुरक्षित आकलन इकाई में 2000 केएलडी भूजल निकालने वाली एक परियोजना (जो 1000-5000 केएलडी ब्रैकेट में आती है) पर 40 लाख रुपये का ईसी प्रभार लगाया गया है / भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

स्कीम के अंतर्गत लागू छूट = 70%।

छूट %	लगाया गया ईसी (रु. लाख में)	छूट राशि (रु. लाख में)	छूट के बाद देय ईसी (रु. लाख में)
70% (सेल C1)	40	28	12

स्कीम के अंतर्गत छूट के बाद देय ईसी 12 लाख रुपये होगा।

समूह 3: एनओसी में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक निकाली गई अतिरिक्त मात्रा पर लागू ईसी का छूट मैट्रिक्स (दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की गई ईसी की राशि से 75%-45% की छूट)

क्षेत्र श्रेणी	पंक्ति/स्तंभ	जल खपत (घन मीटर प्रति दिन में)			
		<200	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		A (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	B (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	C (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)	D (ईसी प्रभार की प्रतिशतता में छूट)
सुरक्षित और लवणीय	1	75%	75%	75%	75%
अर्ध-गंभीर	2	75%	65%	65%	55%
गंभीर	3	75%	65%	55%	55%
अति-दोहित	4	75%	65%	55%	45%

समूह 3 के मामलों के लिए सैंपल प्रदर्शन

अति-दोहित आकलन इकाई में 100 केएलडी भूजल निकालने वाली एक परियोजना (जो 200 केएलडी से कम के ब्रैकेट में आती है) पर 10 लाख रुपये का ईसी प्रभार लगाया गया है / भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
स्कीम के अंतर्गत लागू छूट = 75%
स्कीम के अंतर्गत छूट के बाद देय ईसी 2.5 लाख रुपये होगा।

छूट %	लगाया गया (रु. लाख में)	छूट राशि (रु. लाख में)	छूट के बाद देय ईसी (रु. लाख में)
75% (सेल A4)	10	7.5	2.5

x. परियोजना प्रस्तावक (पीपी) को छूट के अंतर्गत देय ईसी या वास्तविक भूजल प्रभार, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। राशि की सूचना पीपी को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भू-नीर ऐप पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। पूरी राशि का भुगतान एकल लेन-देन में करना होगा।

xi. यदि पीपी प्रभारों की सूचना मिलने के साठ (60) दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो पीपी राहत का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

xii. योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पीपी को अनिवार्य रूप से भू-नीर ऐप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पर पीपी का मार्गदर्शन करने वाला दस्तावेज उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

8.0 स्कीम कार्यान्वयन तंत्र:

8.1 सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय में स्कीम कार्यान्वयन प्रकोष्ठ सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली के कार्यालय और सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक स्कीम, कार्यान्वयन प्रकोष्ठ होगा, जो इस स्कीम के तहत प्राप्त अनुरोधों/आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में स्कीम कार्यान्वयन समिति को प्रगति/मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

8.2 सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में स्कीम कार्यान्वयन समिति (एसआईसी):

सदस्य सचिव, सीजीडब्ल्यूए की अध्यक्षता में सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में एक स्कीम कार्यान्वयन समिति (एसआईसी) का गठन किया जाएगा, जो पोर्टल के उचित रखरखाव स्कीम के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। एसआईसी शिकायत निवारण के लिए एक अपीलीय मंच के रूप में भी कार्य करेगी।

8.3 पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम कार्यान्वयन समिति (एसआईसी) के सभी निर्णय, विशेष रूप से आवेदन की अस्वीकृति और शिकायत निवारण से संबंधित निर्णय, कारण सहित मुखर आदेशों के रूप में जारी किए जाएंगे।

8.4 स्कीम कार्यान्वयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि स्कीम के अंतर्गत शामिल की गई किसी परियोजना के संबंध में सीजीडब्ल्यूए के पास लंबित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संशोधन के किसी भी दावे/अभ्यावेदन पर भी इस स्कीम के तहत विचार किया जाए और उसका निपटान किया जाए।

9.0 अन्य शर्तें:

i. ईसी/छूट की गणना पीपी द्वारा प्रस्तुत और सीजीडब्ल्यूए द्वारा सत्यापित डेटा/जानकारी के आधार पर की जाएगी। यदि आवेदन सीजीडब्ल्यूए द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो बाद में जानकारी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो ईमेल/पोर्टल के माध्यम से पीपी को एक डेफ़िसिएनसी मेमो जारी किया जाएगा। यदि पीपी ऐसे ज्ञापन के जारी होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर उसे जारी किए गए डेफ़िसिएनसी मेमो में उल्लिखित कमियों को दूर करने में विफल रहता है, तो योजना का कोई भी लाभ दिए बिना उसका आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

iii. इस स्कीम का लाभ उठाने के इच्छुक पीपी को एक वचनपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प चुनने के बाद, सीजीडब्ल्यूए के पास लंबित ईसी के संशोधन के लिए पीपी का कोई भी पिछला आवेदन/अभ्यावेदन रद्द/वापस लिया हुआ माना जाएगा।

iv. इस स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया गया आवेदन उसी परियोजना के संबंध में सीजीडब्ल्यूए के पास लंबित ईसी के किसी भी अन्य पिछले अभ्यावेदन का स्थान ले लेगा (अतिक्रमण करेगा)।

v. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पीपी ने स्कीम का लाभ उठाने के लिए कोई गलत जानकारी प्रदान की है, तो पीपी मौजूदा नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी जानकारी सीजीडब्ल्यूए/किसी प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद बोरवेल के सील किए जाने की तारीख तक पूर्ण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।

vi. यदि पीपी को आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान भू-नीर ऐप पोर्टल में तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ता है या स्कीम से संबंधित कोई अन्य शिकायत है, तो पीपी ईमेल (cgwa-ots@gov.in) के माध्यम से सीजीडब्ल्यूए को तत्काल सूचित करेगा। तकनीकी खराबी से संबंधित मुद्दों के लिए, पीपी को स्क्रीनशॉट जमा करना होगा जो स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए, जिसमें त्रुटि की तारीख के साथ-साथ एड्रेस बार सहित पूरा वेब पेज दिखाई देना चाहिए। एसआईसी इस मुद्दे की जांच करेगी और योग्यता (मेरिट) के आधार पर मामले का फैसला करेगी। एसआईसी का निर्णय, जो पीपी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही लिया जाएगा, अंतिम होगा।

vii. भूजल निकासी की जिस मात्रा के आधार पर योजना के तहत लाभ उठाया गया है, उसे बाद में एनओसी अवधि के दौरान बिना किसी वैध कारण के नहीं बढ़ाया जाएगा।

अनुलग्नक

सीजीडब्ल्यूए द्वारा विनियमित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	असम	राज्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य
3.	बिहार	राज्य
4.	छत्तीसगढ़	राज्य
5.	गुजरात	राज्य
6.	झारखंड	राज्य
7.	मध्य प्रदेश	राज्य
8.	महाराष्ट्र	राज्य
9.	मणिपुर	राज्य
10.	मेघालय	राज्य
11.	मिजोरम	राज्य
12.	नागालैंड	राज्य
13.	ओडिशा	राज्य
14.	राजस्थान	राज्य
15.	सिक्किम	राज्य
16.	त्रिपुरा	राज्य
17.	उत्तराखंड	राज्य
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	संघ राज्य क्षेत्र
19.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	संघ राज्य क्षेत्र

[फा. सं. टी-81011/8/2025-जीडब्ल्यू अनुभाग-जल शक्ति मंत्रालय (भाग-2)]

सचिन अरोड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2026

S.O. 6179(E).— WHEREAS the Central Ground Water Authority (CGWA), constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is entrusted with the regulation and control of groundwater development and management in the country;

AND WHEREAS, the Ministry of Jal Shakti, vide notification No. S.O. 3289(E), dated the 24th September, 2020, as amended vide notification No. S.O. 1509(E), dated the 29th March, 2023, notified the *Guidelines to Regulate and Control Ground Water Extraction in India*, which, inter alia, provide for the levy of Environmental Compensation

(EC) in cases of groundwater extraction without a valid No Objection Certificate (NOC), delayed renewal of NOC, and extraction of groundwater in excess of the permitted quantity;

AND WHEREAS, it has been observed that substantial Environmental Compensation liabilities have resulted in prolonged representations and litigation in a number of cases, thereby delaying recovery of Environmental Compensation and discouraging certain project proponents from entering the groundwater regulatory framework;

AND WHEREAS, the Government considers it necessary, in the larger public interest, to provide a one-time, voluntary and time-bound dispute resolution and settlement mechanism to facilitate regularisation of groundwater abstraction, encourage compliance with the applicable regulatory framework, reduce avoidable litigation and ensure timely recovery of Environmental Compensation, without diluting the Polluter Pays Principle;

Now, therefore, the Central Government hereby notifies the **Ground Water Charges (Dispute Resolution) Scheme, 2026**, hereinafter referred to as the "Scheme", as set out in the Schedule annexed to this notification.

The Scheme shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain in force for a period of one year from such date, subject to the terms and conditions specified therein.

SCHEDULE

GROUND WATER CHARGES (DISPUTE RESOLUTION) SCHEME, 2026

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS:

The Central Ground Water Authority (CGWA), constituted under Section 3(3) of the Environment (Protection) Act, 1986, regulates and controls groundwater extraction in accordance with the *Guidelines notified by the Ministry of Jal Shakti dated 24.09.2020 followed by amendment dated 29.03.2023*. These Guidelines provide for the levy of Environmental Compensation (EC) on project proponents for specified instances including abstraction of groundwater without No Objection Certificate (NOC), delayed renewal of NOCs, and extraction of groundwater in excess of the permitted quantity.

Over the years, it has been observed that substantial Environmental Compensation liabilities have discouraged several project proponents from voluntarily entering the regulatory framework. As a result, a significant number of cases remain under prolonged representations and litigation, delaying recovery of compensation and impeding the objective of bringing groundwater users under effective regulatory oversight.

Accordingly, the **Ground Water Charges (Dispute Resolution) Scheme, 2026 has been formulated** as a **one-time, voluntary dispute resolution and settlement mechanism** in larger public interest. The Scheme is intended to facilitate voluntary compliance, encourage eligible project proponents to regularize groundwater abstraction by obtaining the requisite No Objection Certificate, reduce avoidable litigation, and secure early realization of Environmental Compensation that may otherwise remain locked in prolonged legal proceedings. The Scheme is thus a measure to maximize recovery and strengthen regulatory compliance, and **not** an abandonment of the **Polluter Pays Principle**.

The Scheme is conceived as a limited, time-bound settlement. It neither condones past violations nor creates any vested right to similar relief in future. Upon expiry of the Scheme, all cases shall be governed strictly in accordance with the applicable Guidelines, and any subsequent violation shall attract Environmental Compensation and other enforcement measures as prescribed. The Scheme is without prejudice to the continued application of the regulatory framework governing groundwater extraction and shall not operate as a precedent for future claims.

1. Background:

1.1 Central Government constituted Central Ground Water Authority (CGWA) for the purposes of regulation and control of ground water development and management in the whole of India and to issue necessary regulatory directions, vide Ministry of Environment & Forests (MoEF) notification S.O. 38(E), dated 14th January, 1997, as amended vide Notifications S.O. 40(E), dated 13.01.1998; S.O. 1124(E) dated 06.11.2000; S.O. 9(E), dated 05.01.1999; and S.O. 1121 (E), dated 13.05.2010.

1.2 Ministry of Jal Shakti issued 'Guidelines to control and regulate ground water extraction in India' vide Notification No. SO 3289(E), dated 24.09.2020 and amendments thereto vide Notification No. SO 1509(E), dated 29.03.2023.

1.3 Guidelines dated 24.09.2020 stipulate that all new/existing industries, industries seeking expansion, infrastructure projects and mining projects abstracting ground water, unless specifically exempted under Para 1.0 of

guidelines, will be required to seek 'No Objection Certificate' (NOC) from Central Ground Water Authority or, the concerned State/ UT Ground Water Authority as the case may be.

1.4 Post issuance of guidelines on 24.09.2020, CGWA kept extending last date for submitting NOC application for existing projects without attracting Environmental Compensation (EC)**.** The last such extension was allowed up to 30.09.2022.

1.5 Central Ground Water Authority (CGWA) is imposing Environmental Compensation charges as per the provisions of Guidelines dated 24.09.2020 in following three cases :

i. existing projects extracting ground water but have failed to apply for NOC

ii. projects which have not applied for renewal of NOC in time

iii. projects which have extracted ground water beyond the quantum permitted in the NOC.

1.6 It has been observed that in last three years imposition of EC is becoming a discouraging factor for several Project Proponents (PPs) from applying for NOC. Therefore, it is felt that relaxation of EC may help in bringing maximum projects into ambit of ground water regulation. There are also number of cases where the PPs have applied for NOC and EC has been imposed. However, instead of paying the EC charges such PPs are preferring representations for relaxation in this regard and even filing litigation in courts.

1.7 Thus, in order to promote Ease of Doing Business initiative of Government of India as well as to encourage more and more projects to come forward for obtaining NOC from CGWA and thus become a part of ground water regulation regime, relaxation in Environmental Compensation may be provided to the commercial establishments extracting ground water. Further, it is imperative that such relaxation is offered only for a limited period so as not to impede effective implementation of guidelines to regulate and control groundwater extraction. Here, it is also emphasized that Government's endeavour has always been promoting the use of surface water and recycled water for industrial and commercial use and ground water is to mainly act as a stop gap arrangement.

1.8 **With this view, a** GROUND WATER CHARGES (DISPUTE RESOLUTION) SCHEME 2026 is hereby brought into force by the Ministry of Jal Shakti in larger public interest, balancing the Government's Ease of Doing Business initiative with the mandate of sustainable development of ground water and inter-generational equity. The Scheme is conceived as a voluntary, one-time **strategic resolution and settlement mechanism** with the primary objective to bring a larger number of project proponents (PPs) into the regulatory framework in order to achieve wider regulatory compliance. The scheme will be applicable to projects located across 19 States/ UTs **(**Annexure**)** where groundwater regulation is being done by CGWA.

2.0 Definitions

i. CCA: Consolidated Consent and Authorization issued by concerned State Pollution Control Board

ii. CTE: Consent to Establish

iii. CTO: Consent to Operate

iv. SIC: Scheme Implementation Committee

v. Deficiency Memo: Communication to PP of deficiencies in submitted application

vi. Effective Date for Scheme commencement: The date on which the Scheme is notified in the official gazette.

vii. Environmental Compensation**:** as defined under Para 15.0 of guidelines dated 24.09.2020.

viii. Environmental Compensation Calculation: As per rates and deterrent factor prescribed in Tables 15.1 to 15.2 read with CGWA Public Notice No. 10/2022 dated 03.11.2022.

ix. KLD: Kilo Litre per Day i.e., cum/day.

x. NOC: No Objection Certificate

xi. PP: Project Proponent, i.e., Applicant

xii. Saline Groundwater: As defined in CGWA guidelines for Saline Groundwater Extraction. These guidelines can be accessed through the link Saline guidelines_approved.pdf.

xiii. Relief: Amount of rebate/relaxation in Environmental Compensation charges calculated as per the provisions of Guidelines dated 24.09.2020 and as amended on 29.03.2023

xiv. CGWB's GWRA report: Report on Dynamic Ground Water Resources Assessment published periodically by Central Ground Water Board. The report is available on Central Ground Water Board (CGWB) website https://cgwb.gov.in/.

3.0 Scope/applicability:

3.1 The scheme will be applicable to projects located across 19 States/ UTs **(**Annexure) where groundwater regulation is being done by CGWA.

3.2 The scheme shall remain in force for a period of one year from the date of its gazette notification. No relief shall be extended thereafter. Applications received under the scheme upto the last date will be eligible to avail the benefit of the scheme, subject to fulfillment of conditions of the schemes.

4.0 Exclusion Clause: The benefits of this Scheme shall not be available in respect of Environmental Compensation cases which have already been finally adjudicated by any Court, Tribunal, including compensation imposed by the National Green Tribunal in matters presently under challenge before the Hon'ble Supreme Court of India.

5.0 Settlement of Pending Litigation

5.1. A Project Proponent having any pending litigation before any Court, Tribunal or other competent Authority relating to the quantum of Environmental Compensation for the period proposed to be settled under this Scheme may apply to avail the benefits of the Scheme by furnishing, along with the application, an irrevocable undertaking on a non-judicial stamp paper that, upon acceptance of the settlement and fulfillment of the conditions of this Scheme, the Project Proponent shall withdraw or procure disposal of such proceedings in accordance with law.

5.2. Upon receipt of the application and undertaking, the Scheme Implementation Committee shall examine the eligibility of the Project Proponent and determine the Environmental Compensation payable under the Scheme. The determined amount shall be communicated to the Project Proponent.

5.3. The Project Proponent shall, within the prescribed period, deposit the amount determined under the Scheme as may be specified by the Central Ground Water Authority.

5.4. After receipt of the payment, the Scheme Implementation Committee shall issue a provisional settlement order. Such order shall not constitute a final discharge of liability and shall remain expressly subject to submission of documentary proof of withdrawal or disposal of the pending proceedings before the concerned Court, Tribunal or Authority within such period as may be specified by the Committee.

5.5. Upon submission of satisfactory proof of withdrawal or disposal of the proceedings within the stipulated period, the Scheme Implementation Committee shall issue a final settlement order, whereupon the Environmental Compensation liability for the period and category covered under the Scheme shall stand fully and finally discharged.

5.6. Where the Project Proponent fails to furnish proof of withdrawal or disposal of the proceedings within the prescribed period, or thereafter seeks to continue, revive or re-agitate the same claim relating to the Environmental Compensation settled under this Scheme, the provisional settlement shall automatically stand rescinded without any further order. In such event, the original Environmental Compensation liability shall revive in full, and all amounts paid under the Scheme shall stand appropriated towards such liability without prejudice to the right of the Central Ground Water Authority to recover the balance amount and take action under the applicable Guidelines and law.

6.0 Undertaking: The undertaking and withdrawal contemplated under this Scheme shall be confined only to the Environmental Compensation liability for the particular period and category of violation settled under the Scheme and shall not affect the right of the Project Proponent to pursue any unrelated or future grievance in accordance with law. Nothing contained in this Scheme shall be construed as restricting the constitutional or statutory remedies available in respect of matters not covered by the settlement.

7.0 Scheme Feature

Providing Relief in Environmental Compensation charges to

a. existing projects operating without NOC;

b. projects applying late for renewal of NOC; and

c. the projects that have extracted excess quantum over and above that specified in NOC

i. This relief is being extended across all categories of assessment units (Over Exploited, Critical, Semi-critical, Safe and saline) as well as all type of projects (Infrastructure, Industrial, Mining and others). All existing

Projects extracting groundwater will be eligible to avail benefits of the scheme, subject to fulfilment of all basic eligibility criteria as per the provisions of Guidelines dated 24.09.2020.

ii. This Scheme is being introduced as a last and final opportunity for Project Proponents to regularize groundwater abstraction and avail relief in Environmental Compensation. Upon expiry or closure of the Scheme, Environmental Compensation shall be applicable in accordance with the extant Guidelines with effect from 24.09.2020 or the date of commencement of the project, whichever is later, without any relaxation or rebate.

iii. Both fresh, as well as renewal applications shall be covered under the scheme.

iv. The scheme will also cover the projects extracting groundwater whose applications were rejected earlier for any reason(s).

v. Applications of projects pending with CGWA at the time of announcement of scheme and where EC is applicable, shall also be eligible for relief under this scheme.

vi. Valid document like CTE/CTO/CCA etc. shall be considered for deciding existence of project prior to date of announcement of scheme.

vii. This Scheme is a one-time resolution measure. It is expressly clarified that this Scheme is without prejudice to future enforcement action. This scheme shall not be treated as a precedent and no expectation of similar relief shall arise in future. Any non-compliance by the projects observed later after availing the benefits of the Scheme will attract the strictest enforcement actions under extant guidelines, including imposing full environmental compensation (EC), applicable penalties and even sealing of borewell too.

viii. Applications received during the period of scheme shall be eligible for relief on the actual Environmental Compensation or minimum EC as per guidelines, whichever is higher. Details of relief from EC to be provided under the Scheme are provided hereunder.

ix. Relief Matrix: To ensure equality in offering relief in EC charges a relief matrix is prepared. It is based on the combination of category of assessment units and percentage of amount of rebate/relaxation in Environmental Compensation charges, calculated as per extant guidelines, applicable under this scheme. Here, the category of assessment unit means the project/industry located in a Safe /semi-critical /Critical/ Over Exploited /Saline assessments units as per CGWB's GWRE report. The relief percentage is the percentage of amount eligible/applicable in respective water consumption (in KLD) and assessment unit.

All such applications with imposed EC are grouped as under.

1. Group 1: For existing projects operating without NOC. Relief applicable 60% to 30%.
2. Group 2: Late application for renewal of NOC. Relief applicable 70% to 40%.
3. Group 3: Excess quantum extracted over and above that specified in NOC. Relief applicable 75% to 45%.

Group 1: Relief matrix of EC applicable to existing projects operating without NOC (Relief of 60-30% from the amount of EC calculated as per Guidelines)

Area Category	Row /Column	Water Consumption (cum/day)			
		<200	200 to <1000	1000 to <5000	5000 & above
		A (% relief in EC charges)	B (% relief in EC charges)	C (% relief in EC charges)	D (% relief in EC charges)
Safe and Saline	1	60%	60%	60%	60%
Semi-critical	2	60%	50%	50%	50%
Critical	3	60%	50%	40%	40%
Over exploited	4	60%	50%	40%	30%

-

Sample illustration for Group 1 cases

A Project withdrawing 500 KLD Ground water (falling within 200 -1000 KLD bracket) in Semicritical Assessment Unit is imposed with/liable to pay EC charges of Rs. 20 Lakh.

Applicable relief under the Scheme = 50%.

EC payable after relief under the Scheme will be Rs 10 Lakh.

Relief %	EC Imposed (Rs in Lakh)	Relief Amount (Rs in Lakh)	EC Payable after Relief (Rs. In Lakh)
50% (Cell B2)	20	10	10

Group 2: **Relief matrix of EC applicable to Late application for renewal of NOC (Relief of** 70%-40 % from the amount of EC calculated as per Guidelines)

Area Category	Row /Column	Water Consumption (cum/day)			
		<200	200 to <1000	1000 to <5000	5000 & above
		A (% relief in EC charges)	B (% relief in EC charges)	C (% relief in EC charges)	D (% relief in EC charges)
Safe and Saline	1	70%	70%	70%	70%
Semi-critical	2	70%	60%	60%	60%
Critical	3	70%	60%	50%	50%
Over exploited	4	70%	60%	50%	40%

Sample illustration for Group 2 cases

A Project withdrawing 2000 KLD Ground water (falling within 1000 -5000 KLD bracket) in Safe Assessment Unit is imposed with/liable to pay EC charges of Rs. 40 Lakh.

Applicable relief under the Scheme = 70%.

Relief %	EC Imposed (Rs in Lakh)	Relief Amount (Rs in Lakh)	EC Payable after Relief (Rs in Lakh)
70% (Cell C1)	40	28	12

EC payable after relief under the Scheme will be Rs 12 Lakh.

Group 3: Relief matrix of EC applicable to Excess quantum extracted over and above that

Area Category	Row /Column	Water Consumption (cum/day)			
		<200	200 to <1000	1000 to <5000	5000 & above
		A (% relief in EC charges)	B (% relief in EC charges)	C (% relief in EC charges)	D (% relief in EC charges)
Safe and Saline	1	75%	75%	75%	75%

Semi critical	2	75%	65%	65%	55%
Critical	3	75%	65%	55%	55%
Over exploited	4	75%	65%	55%	45%

specified in NOC (Relief 75%-45 % from the amount of EC calculated as per Guidelines)

Sample illustration for Group 3 cases

A Project withdrawing 100 KLD Ground water (falling within less than 200 KLD bracket) in Over-Exploited Assessment Unit is imposed with/liable to pay EC charges of Rs. 10 Lakh.

Applicable relief under the Scheme = 75%.

EC payable after relief under the Scheme will be Rs 2.5 Lakh.

Relief %	EC Imposed (Rs in Lakh)	Relief Amount (Rs in Lakh)	EC Payable after Relief (Rs in Lakh)
75% (Cell A4)	10	7.5	2.5

x. The PP shall have to pay the payable EC under relief or actual ground water charges, whichever is higher. The amount will be communicated to PP via BhuNeer APP portal on registered e-mail Id of PP. Entire amount has to be paid in single transaction.

xi. If the PP fails to pay the amount within sixty (60) days of communication of charges, then PP will not be eligible to avail the benefit of relief. Further no representation will be entertained in this regard.

xii. PPs wishing to avail the benefit of the Scheme will have to mandatorily register on the BhuNeer APP portal. Document guiding the PP on the registration process will be made available on the aforementioned portal.

8.0 Scheme Implementation Mechanism

8.1 Scheme Implementation Cell at CGWA, New Delhi and Region Office

The office of CGWA, New Delhi and all concerned Region office will have Scheme Implementation Cell, to process requests/applications received under this scheme and will also be responsible for reporting progress/ issues to Scheme Implementation Committee at CGWA, New Delhi.

8.2 Scheme Implementation Committee (SIC) at CGWA, New Delhi

A Scheme Implementation Committee (SIC) will be constituted at CGWA, New Delhi under the Chairmanship of Member Secretary, CGWA, which will be responsible for overall implementation of scheme, including proper maintenance of the portal. The SIC will also function as an appellate forum for grievance redressal.

8.3 All decisions of the Scheme Implementation Committee (SIC), particularly those involving rejection of application and grievance redressal, shall be issued as reasoned speaking orders to ensure transparency and procedural fairness.

8.4 The Scheme Implementation Committee shall ensure that any claim/representation for revision of Environmental Compensation pending with CGWA in respect of a project covered under the Scheme is also considered and disposed of under the Scheme.

9.0 Other Conditions

i. The EC/ Relief will be calculated on the basis of data/ information submitted by the PP and verified by CGWA. No request for change in information will be considered later, if the application has been accepted by the CGWA.

ii. If any deficiency is found in the application, a Deficiency Memo will be issued to PP through email/portal. If the PP fails to cure the deficiencies mentioned in Deficiency Memo issued to him within sixty (60) days from the date of issuance of such Memo, his application shall be summarily rejected without providing any benefit of the scheme.

iii. The PP intending to avail the benefit of this scheme shall also have to submit an undertaking that after opting to avail benefit of the scheme, any earlier application/ representation from the PP for revision of EC pending with CGWA shall be deemed annulled/ withdrawn.

iv. Application by Project Proponent to avail the benefit under this scheme shall supersede any other earlier representation for EC pending with CGWA with respect to the same project.

v. If at any stage, it is found that the PP has provided any false information for availing benefit of scheme, the PP shall be liable to penal provisions under extant rules. Further, recovery of full Environmental Compensation till the date borewell(s) are sealed after such information comes to the notice of CGWA/ any Authorized Officer will be done.

vi. In case the PP encounters technical glitches in the BhuNeer APP Portal during the process of submission of application or have other grievances related to the scheme, if any, PP shall immediately report to CGWA via email (cgwa-ots@gov.in). For issues related to technical glitch, PP shall submit the screenshot which should be clear and legible, showing entire web page including the date of error, as well as address bar. The SIC will scrutinize the issue and decide the case as per merit. Decision of SIC, which shall be made only after providing an opportunity to be heard to the PP, shall be final.

vii. The quantum of groundwater extraction on which basis benefit is availed under the scheme, shall not be increased later during the NOC period without valid reason.

Annexure

List of State/UTs Regulated by CGWA

Sl. No	Name of State/UT	State/UT
1.	Assam	State
2.	Arunachal Pradesh	State
3.	Bihar	State
4.	Chhattisgarh	State
5.	Gujarat	State
6.	Jharkhand	State
7.	Madhya Pradesh	State
8.	Maharashtra	State
9.	Manipur	State
10.	Meghalaya	State
11.	Mizoram	State
12.	Nagaland	State
13.	Odisha	State
14.	Rajasthan	State
15.	Sikkim	State
16.	Tripura	State

17.	Uttarakhand	State
18.	Andaman and Nicobar Islands	UT
19.	Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu	UT

[F. No. T-81011/8/2025-GW Section-MOWR-Part(2)]

SACHIN ARORA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.01.17 22:54:43 +05'30'